प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
मुरादाबाद।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक— सीएमओ/एन.एच.एम./लेखा/2017—18/ 10026 दिनांक 22.11.2017

विषय— **राष्टीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण वाहनों की सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड.ई./2017—18/01/4664 दिनांक 11.08.2017 के अनुपालन में राष्टीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण वाहनों की सूचना सलंग्न प्रारूप पर तथा फर्मो के साथ हुये अनुबन्ध की छायाप्रति आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलंग्नक— उपरोक्तानुसार

भवदीय

नोडल अधिकारी एन.एच.एम.
मुरादाबाद।

पृं0सं0— सीएमओ/एन.एच.एम./लेखा/2017—18/ 10027 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई एन.एच.एम. मुरादाबाद।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई एन.एच.एम. मुरादाबाद।

नोडल अधिकारी एन.एच.एम.
मुरादाबाद।

Supportive Supervision Vehicle Hiring- Block Wise Information 2017-18						
S.no	Name of division	Name of District	Block Name	Vehicle no	Date Of hiring	Agreement Copy attached
1	Moradabad	Moradabad	Thakurdwara	UP21AN9634	01-06-2017	Yes
2			Tajpur	UP21AN8594	01-06-2017	Yes
3			Mundhapandey	UP21AU5460	01-06-2017	Yes
4			Bhojpur	DL3CBN2303	01-06-2017	Yes
5			Bilari	UP21BN1798	01-06-2017	Yes
6			Dilari	UP21AX3699	01-06-2017	Yes
7			Kunderki	HP63A6677	01-06-2017	Yes
8			Kanth	UP21BN3258	01-06-2017	Yes

नोडल अधिकारी
एन0एच0एम0
मुरादाबाद

Supportive Supervision Vehicle Hiring- District Wise Information 2017-18							
S.no	Name of District	Name of Agreement signing officer	Vehicle no-01	Date Of hiring	Vehicle no-02	Date Of hiring	Agreement Copy attached
1	Moradabad	Moradabad	UP21BN2154	01-06-2017	UP21AN3066	01-06-2017	YES

नोडल अधिकारी
एन0एच0एम0
मुरादाबाद

Supportive Supervision Vehicle Hiring- Division Wise Information 2017-18							
S.no	Name of Division	Name of Agreement signing officer	Vehicle no-01	Date Of hiring	Vehicle no-02	Date Of hiring	Agreement Copy attached
1	-	-	-	-	-	-	-

अनुबन्धित फर्म से अपर निदेशक स्तर पर टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

नोडल अधिकारी
एन0एच0एम0
मुरादाबाद

Supportive Supervision Vehicle Hiring- Block Wise Information 2017-18						
S.no	Name of division	Name of District	Block Name	Vehicle no	Date Of hiring	Agreement Copy attached
1	Moradabad	Moradabad	Thakurdwara	UP21AN9634	01-04-2017	Yes
2			Tajpur	UP21AN8594	01-04-2017	Yes
3			Mundhapandey	UP21AU5460	01-04-2017	Yes
4			Bhojpur	DL3CBN2303	01-04-2017	Yes
5			Bilari	UP21BN1798	01-04-2017	Yes
6			Dilari	UP21AX3699	01-04-2017	Yes
7			Kunderki	HP63A6677	01-04-2017	Yes
8			Kanth	UP21BN3258	01-04-2017	Yes

नोडल अधिकारी
एन0एच0एम0
मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

18 APR 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DF 908039

प्रथम पक्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य (सचिव) जिला स्वास्थ्य सोसायटी मुरादाबाद।

द्वितीय पक्ष ग्रामीण विकास सेवा समिति, ग्राम जटपुरा ठा० ठाकुरद्वारा जिला - मुरादाबाद
सेवाप्रदाता।

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के संचालन के सम्बंध में आज दिनांक 24-2-16 को जनपद मुरादाबाद में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक 1-4-17 से अगली निविदा स्वीकृत होने तक होगी।

द्वितीय पक्षकार जिला मुरादाबाद के विकास खण्ड ठाकुरद्वारा, ताजपुर .... में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में वाहनों को संचालित करने के सम्बंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

1 सेवाप्रदाता (प्रथम पक्षकार) द्वारा अनुमोदित वाहन सं0– UP21 AN-9634 ठाकुरद्वारा, UP21 AM 8594, ताजपुर, ... रू0 29993- किराया प्रतिमाह की दर पर उपलब्ध करायेगा।

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

सचिव
ग्रामीण विकास सेवा समिति
जटपुरा, मुरादाबाद

2

2 यह अनुबन्ध 01.04.2017 से अगली निविदा स्वीकृत होने तक मान्य होगा।
3 वाहन में प्राथमिकता उपचार किट हो।
4 वाहन पर कार्यक्रम का नाम आर0बी0एस0के0 अंकित कराना आवश्यक होगा। यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबंधित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बंधित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जायेगा।
5 वाहन में पैट्रोल/डीजल एवं वाहन चालक का वेतन द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
6 यह कि आर0बी0एस0के0 के अन्तर्गत वाहन को अधिकतम 1000 किमी0 तक चलना होगा तथा संदर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन **1000 किमी0** से कम चलता है तो अनुपातक कटौती करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।
7 दुघर्टना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।
8 वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन पूर्व फिटनेस प्रमाण पत्र टैक्सी परमिट आदि होना अनिवार्य है तथा वाहन ऐसा होगा जिसमें चार सदस्यों के बैठने एवं सामान रखने की व्यवस्था होगी।
9 वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बधी समस्त व्यय द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किये जायेंगे तथा वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नहीं जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में लिया जायेगा।
10 वाहन चालक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर व उसका कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति एवं उसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
11 द्वितीय पक्षकार द्वारा धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0 संख्या 83656 दिनांक 21-1-16 जिला स्वास्थ्य सोसायटी के नाम रू0 100000/- की धरोहर राशि जमा करा दी है तथा कुल बजट का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी का बैंक का ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 देने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष की होगी तथा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।
12 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रभावी **"राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना"** हेतु वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि सम्बंधित स्वास्थ्य इकाई पर केवल **"राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना"** हेतु ही चलाया जायेगा।
13 वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य पब्लिक लाइसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालात में वाहन का संचालन न करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

सचिव
ग्रामीण विकास सेवा समिति
जटपुरा, मुरादाबाद

निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

14 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉग बुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

15 वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन अनुपस्थित होने पर अथवा वाहन चालक के अनुपस्थित होने पर रू0 500/– प्रतिदिन की दर से कटौती कर दी जायेगी।

16 द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी का होगा।

17 एजेन्सी को आवंटित इकाई पर वाहन के साथ 08 घण्टे मय वाहन चालक के कार्य करना अनिवार्य होगा।

18 अनुबंध के सम्बंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

19 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

20 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैं अथवा मेरा कोई रिश्तेदार भागीदार नहीं है।

NOTARY PUBLIC K.C. Bhatnagar Advocate Distt. Moradabad Regd. No. 37/93

ह0 [signature] | ह0 [signature]

द्वितीय पक्ष (अनुबंधित फर्म)
नाम– ग्रामीण विकास सेवा समिति
पता– ग्राम–जटपुरा पो0 मुरादा
जिला–मुरादाबाद
मो0नं0– 8868899317

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्साधिकारी
सदस्य (सचिव), जिला स्वास्थ्य समिति,
जनपद–मुरादाबाद।

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता (द्वितीय पक्ष

1– [signature]
नाम– नरेश चन्द्र
पता– ग्राम–जटपुरा पो0 रामपुर दोराहा नि0 मुरादाबाद
मो0नं0– 9411945812९

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता प्रथम पक्ष

1–
नाम–
पता–
मो0नं0–

[signature]
सचिव
ग्रामीण विकास से...
जटपुरा, मुरा...

Thumb Impression
Signature Attested
K.C. BHATNAGAR
Advocate/Notary
Moradabad
20/04/17

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CV 597667

प्रथम पक्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य (सचिव) जिला स्वास्थ्य सोसायटी मुरादाबाद।

द्वितीय पक्ष माँ वैष्णो एन्टरप्राइजेज, एम0एम0आई0जी0–145, रामगंगा विहार, मुरादाबाद (सेवाप्रदाता)।

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के संचालन के सम्बंध में आज दिनांक 24.2.16 को जनपद मुरादाबाद में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक 01.4.17 से अगली निविदा स्वीकृत होने तक होगी।

द्वितीय पक्षकार जिला मुरादाबाद के विकास खण्ड कार्यालय मु0चि0 अधिकारी, DPMU यूनिट, सामु0 स्वा0के0कां0, प्रा0 स्वा0 के0 कुन्दरकी में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में वाहनों को संचालित करने के सम्बंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

1 सेवाप्रदाता (प्रथम पक्षकार) द्वारा अनुमोदित वाहन सं0– कार्या0मु0चि0अ0- UP.21.BN.215 (2) DPMU- UP.21.AN.3066 (3) सामु0स्वा0के0कांठ - UP.21.BN.3258 (4) कुन्दरकी प्रा0/सामु0स्वा0के0 - UP.63.A.6677

रू0 29990/- किराया प्रतिमाह की दर पर उपलब्ध करायेगा।

...........2

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

2 वाहन में प्राथमिकता उपचार किट हो।

3 वाहन पर कार्यक्रम का नाम **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** अंकित कराना आवश्यक होगा। यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबंधित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बंधित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जायेगा।

4 वाहन में पैट्रोल/डीजल एवं वाहन चालक का वेतन द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

5 यह कि **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** के अन्तर्गत वाहन को अधिकतम **1000** किमी0 तक चलना होगा। यदि वाहन **1000 किमी0** से कम चलता है तो अनुपातक कटौती करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।

6 दुघर्टना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।

7 वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन पूर्व फिटनेस प्रमाण पत्र टैक्सी परमिट आदि होना अनिवार्य है तथा वाहन ऐसा होगा जिसमें सदस्यों के बैठने एवं सामान रखने की व्यवस्था होगी।

8 वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बंधी समस्त व्यय द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किये जायेंगे तथा वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नहीं जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट राजकीय कार्यों में लिया जायेगा।

9 वाहन चालक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर व उसका कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति एवं उसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

10 द्वितीय पक्षकार द्वारा धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0 संख्या.......................... दिनांक ....जिला स्वास्थ्य सोसायटी के नाम रू0................................ की धरोहर राशि जमा करा दी है तथा कुल बजट का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी का बैंक का ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 देने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष की होगी तथा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

11 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रभावी **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** हेतु वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि सम्बंधित स्वास्थ्य इकाई पर केवल **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** हेतु ही चलाया जायेगा।

12 वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य पब्लिक लाइसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालात में वाहन का संचालन न करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

13 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉग बुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक सत्यापित बिल प्रस्तुत

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

14 वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन अनुपस्थित होने पर अथवा वाहन चालक के अनुपस्थित होने पर रू0 500/– प्रतिदिन की दर से कटौती कर दी जायेगी।

15 द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी का होगा।

16 एजेन्सी को आवंटित इकाई पर वाहन के साथ 08 घण्टे मय वाहन चालक के कार्य करना अनिवार्य होगा।

17 अनुबंध के सम्बंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

18 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

19 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैं अथवा मेरा कोई रिश्तेदार भागीदार नहीं है।

ह0 Anjay

द्वितीय पक्ष (अनुबंधित फर्म)
नाम– अजय
पता– MMIG-145
रामगंगा विहार मुरादाबाद
मो0नं0– 9917391111

ह0

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्साधिकारी
सदस्य (सचिव), जिला स्वास्थ्य समिति,
जनपद–मुरादाबाद।

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता (द्वितीय पक्ष

1– Pawan
नाम– पवन सिंह
पता– हिमगिरि कालोनी
मुरादाबाद
मो0नं0– 9917900055

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता प्रथम पक्ष

1–
नाम–
पता–

2 मो0नं0–

Thumb impression
Signature Attested
K.C. Bhatnagar
02/4/17
K C BHATNAGAR
Advocate/Notary
Moradabad

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DF 746065

NOTARIAL NOTARIAL

15 APR 2017

प्रथम पक्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य (सचिव) जिला स्वास्थ्य सोसायटी मुरादाबाद।

द्वितीय पक्ष मैसर्स गुलाब सिंह, गुलाबबाड़ी कटघर, मुरादाबाद सेवाप्रदाता।

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के संचालन के सम्बंध में आज दिनांक 24-2-2016 को जनपद मुरादाबाद में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक 1-4-2017 .से [redacted] या अगली निविदा स्वीकृत होने तक होगी।

द्वितीय पक्षकार जिला मुरादाबाद के विकास खण्ड मुंढापाण्डे व भोजपुर में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में वाहनों को संचालित करने के सम्बंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

1 सेवाप्रदाता (प्रथम पक्षकार) द्वारा अनुमोदित वाहन सं0– मुंढापाण्डे - UP21AU5460, भोजपुर - DL3CBN2303

रू0 29995/- किराया प्रतिमाह की दर पर उपलब्ध करायेगा।

2 वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए– 2

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

2 वाहन में प्राथमिकता उपचार किट हो।

3 वाहन पर कार्यक्रम का नाम **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** अंकित कराना आवश्यक होगा। यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबंधित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बंधित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जायेगा।

4 वाहन में पैट्रोल/डीजल एवं वाहन चालक का वेतन द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

5 यह कि **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** के अन्तर्गत वाहन को अधिकतम **1000** किमी0 तक चलना होगा। यदि वाहन **1000 किमी0** से कम चलता है तो अनुपातक कटौती करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।

6 दुघर्टना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योंरेंस के तहत मिलेगी।

7 वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन पूर्व फिटनेस प्रमाण पत्र टैक्सी परमिट आदि होना अनिवार्य है तथा वाहन ऐसा होगा जिसमें सदस्यों के बैठने एवं सामान रखने की व्यवस्था होगी।

8 वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बंधी समस्त व्यय द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किये जायेंगे तथा वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नहीं जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट राजकीय कार्यों में लिया जायेगा।

9 वाहन चालक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर व उसका कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति एवं उसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

10 द्वितीय पक्षकार द्वारा धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0 संख्या 597328 दिनांक 19/1/16 जिला स्वास्थ्य सोसायटी के नाम रू0 100000/- की धरोहर राशि जमा करा दी है तथा कुल बजट का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी का बैंक का ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 देने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष की होगी तथा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

11 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रभावी **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** हेतु वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि सम्बंधित स्वास्थ्य इकाई पर केवल **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** हेतु ही चलाया जायेगा।

12 वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य पब्लिक लाइसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालात में वाहन का संचालन न करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

13 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉग बुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक सत्यापित बिल प्रस्तुत

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

14 वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन अनुपस्थित होने पर अथवा वाहन चालक के अनुपस्थित होने पर रू0 500/– प्रतिदिन की दर से कटौती कर दी जायेगी।

15 द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी का होगा।

16 एजेन्सी को आवंटित इकाई पर वाहन के साथ 08 घण्टे मय वाहन चालक के कार्य करना अनिवार्य होगा।

17 अनुबंध के सम्बंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

18 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से, इस सम्बंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

19 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैं अथवा मेरा कोई रिश्तेदार भागीदार नहीं है।

ह0

Sundar

द्वितीय पक्ष (अनुबंधित फर्म)
नाम– मैसर्स गुलाब सिंह
पता– गुलाबबाड़ी कटघर
मुरादाबाद
मो0नं0–

ह0

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्साधिकारी
सदस्य (सचिव), जिला स्वास्थ्य समिति,
जनपद–मुरादाबाद।

Nodal Officer
(NHM) Moradabad

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता (द्वितीय पक्ष

1– Ajaymadn
नाम– अजय यादव
पता– किशोरी की कालोनी
मुरादाबाद
मो0नं0–

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता प्रथम पक्ष

1–
नाम–
पता–
2 मो0नं0–

Thumb Impression
Signature Attested
VINOD KUMAR
Advocate/Notary
Moradabad
24/4/17

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

NOTARIAL NOTARIAL

वरिष्ठ कोषाधिकारी 30 MAR 2016 मुख्य रोकड़िया

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CV 597634

प्रथम पक्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य (सचिव) जिला स्वास्थ्य सोसायटी मुरादाबाद।

द्वितीय पक्ष मैसर्स उदेश कन्स्ट्रक्शन एन्ड सप्लायर्स, मऊ काशीराम नगर, मुरादाबाद सेवाप्रदाता।

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के संचालन के सम्बंध में आज दिनांक 24-2-2016 को जनपद मुरादाबाद में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक 1-4-2017 से [redacted] या अगली निविदा स्वीकृत होने तक होगी।

द्वितीय पक्षकार जिला मुरादाबाद के विकास खण्ड डिलारी व बिलारी में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में वाहनों को संचालित करने के सम्बंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

1 सेवाप्रदाता (प्रथम पक्षकार) द्वारा अनुमोदित वाहन सं0– डिलारी - UP21AX 3699 बिलारी - UP21BN 1798 रू0........................किराया प्रतिमाह की दर पर उपलब्ध करायेगा।

..........2

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

2 वाहन में प्राथमिकता उपचार किट हो।

3 वाहन पर कार्यक्रम का नाम **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** अंकित कराना आवश्यक होगा। यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबंधित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बंधित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जायेगा।

4 वाहन में पैट्रोल/डीजल एवं वाहन चालक का वेतन द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

5 यह कि **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** के अन्तर्गत वाहन को अधिकतम **1000** किमी0 तक चलना होगा। यदि वाहन **1000 किमी0** से कम चलता है तो अनुपातक कटौती करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।

6 दुघर्टना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।

7 वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन पूर्व फिटनेस प्रमाण पत्र टैक्सी परमिट आदि होना अनिवार्य है तथा वाहन ऐसा होगा जिसमें सदस्यों के बैठने एवं सामान रखने की व्यवस्था होगी।

8 वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बंधी समस्त व्यय द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किये जायेंगे तथा वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नहीं जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट राजकीय कार्यों में लिया जायेगा।

9 वाहन चालक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर व उसका कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति एवं उसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

10 द्वितीय पक्षकार द्वारा धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0 संख्या....508436.... दिनांक ...21/1/16.......जिला स्वास्थ्य सोसायटी के नाम रू0.....100000/-....... की धरोहर राशि जमा करा दी है तथा कुल बजट का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी का बैंक का ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 देने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष की होगी तथा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

11 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रभावी **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** हेतु वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि सम्बंधित स्वास्थ्य इकाई पर केवल **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** हेतु ही चलाया जायेगा।

12 वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य पब्लिक लाइसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालात में वाहन का संचालन न करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

13 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉग बुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक सत्यापित बिल प्रस्तुत

Nodal Officer
(NHM) Moradabad

करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

14 वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन अनुपस्थित होने पर अथवा वाहन चालक के अनुपस्थित होने पर रू0 500/– प्रतिदिन की दर से कटौती कर दी जायेगी।

15 द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी का होगा।

16 एजेन्सी को आवंटित इकाई पर वाहन के साथ 08 घण्टे मय वाहन चालक के कार्य करना अनिवार्य होगा।

17 अनुबंध के सम्बंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

18 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

19 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैं अथवा मेरा कोई रिश्तेदार भागीदार नहीं है।

ह0 (signature)

द्वितीय पक्ष (अनुबंधित फर्म)
नाम– उर्वशी कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स
पता– काशीराम नगर मझु मुरादाबाद
मो0नं0– 9837740233

ह0

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्साधिकारी
सदस्य (सचिव), जिला स्वास्थ्य समिति,
जनपद–मुरादाबाद।

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता (द्वितीय पक्ष

1–
नाम– मो0 इरफान
पता– नागफनी मुरादाबाद
मो0नं0– 8864854350

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता प्रथम पक्ष

1–
नाम–
पता–
2 मो0नं0–

Thumb Impression
Signature Attested
VINOD KUMAR
Advocate/Notary
Moradabad
2/4/17

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

16 JUN 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DK 169021

प्रथम पक्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य (सचिव) जिला स्वास्थ्य सोसायटी मुरादाबाद।

द्वितीय पक्ष मैसर्स गुलाब सिंह गुलाबबाड़ी कटघर-मुरा० .... सेवाप्रदाता।

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के संचालन के सम्बंध में आज दिनांक 1-6-2017 को जनपद मुरादाबाद में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक 1-6-2017 .से 31.03.2018 तक होगी।

द्वितीय पक्षकार जिला मुरादाबाद के विकास खण्ड मूंढापाण्डे व भोजपुर .... में प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में वाहनों को संचालित करने के सम्बंध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा।

1 सेवाप्रदाता (प्रथम पक्षकार) द्वारा अनुमोदित वाहन सं0– UP21AU5460 (मूंढापाण्डे) DL3CBN 2303 (भोजपुर) रू0 29990/- किराया प्रतिमाह की दर पर उपलब्ध करायेगा।

[illegible]

..........2

For M/s Gulab Singh
Proprietor

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

NOTARY PUBLIC K.C. Bhatnagar Advocate/Notary Distt. Moradabad Regd. No. 3718 GOVT. OF INDIA

2 वाहन में प्राथमिकता उपचार किट हो।

3 वाहन पर कार्यकम का नाम **सर्पोटिंग सुपरवीजन** अंकित कराना आवश्यक होगा। यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबंधित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बंधित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जायेगा।

4 वाहन में पैट्रोल/डीजल एवं वाहन चालक का वेतन द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

5 यह कि **सर्पोटिंग सुपरवीजन** के अन्तर्गत वाहन को अधिकतम 1000 किमी0 तक चलना होगा तथा संदर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन **1000 किमी0** से कम चलता है तो अनुपातक कटौती करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।

6 दुघर्टना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।

7 वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन पूर्व फिटनेस प्रमाण पत्र टैक्सी परमिट आदि होना अनिवार्य है तथा वाहन ऐसा होगा जिसमें चार सदस्यों के बैठने एवं सामान रखने की व्यवस्था होगी।

8 वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बंधी समस्त व्यय द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किये जायेंगे तथा वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नहीं जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में लिया जायेगा।

9 वाहन चालक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर व उसका कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति एवं उसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

10 द्वितीय पक्षकार द्वारा धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0 संख्या 597512 दिनांक 02/05/2017 जिला स्वास्थ्य सोसायटी के नाम रू0 1,50,000=00 की धरोहर राशि जमा करा दी है तथा कुल बजट का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी का बैंक का ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 देने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष की होगी तथा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

11 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रभावी " **सर्पोटिंग सुपरवीजन** " हेतु वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि सम्बंधित स्वास्थ्य इकाई पर केवल " **सर्पोटिंग सुपरवीजन** " हेतु ही चलाया जायेगा।

12 वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य पब्लिक लाइसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालात में वाहन का संचालन न करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा

NOTARY PUBLIC
K.C Bhatnagar
Advocate/Notary
Distt. Moradabad
Regd No. 3718

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

13 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉग बुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

14 वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन अनुपस्थित होने पर अथवा वाहन चालक के अनुपस्थित होने पर रू0 500/– प्रतिदिन की दर से कटौती कर दी जायेगी।

15 द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी का होगा।

16 एजेन्सी को आवंटित इकाई पर वाहन के साथ 08 घण्टे मय वाहन चालक के कार्य करना अनिवार्य होगा।

17 अनुबंध के सम्बंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

18 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

19 इस कार्यकम के अन्तर्गत मैं अथवा मेरा कोई रिश्तेदार भागीदार नहीं है।

NOTARY PUBLIC K.C. Bhatnagar Advocate/Notary Distt. Moradabad Regd. No 3718 GOVT. OF INDIA

ह0

द्वितीय पक्ष (अनुबंधित फर्म)
नाम– मो० गुलाब
पता– गुलाबबाड़ी कटघर मुरादाबाद
मो0नं0– 9759582855

ह0

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्साधिकारी
सदस्य (सचिव), जिला स्वास्थ्य समिति,
जनपद–मुरादाबाद।

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता (द्वितीय पक्ष

1– Shubham
नाम– शुभम कुमार
पता– ग्रा० रौनिया राजपुर मुरादाबाद
मो0नं0– 8653890555

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता प्रथम पक्ष

1– मनोज कुमार
नाम– मनोज कुमार
पता– आदमपुर मुरादाबाद
मो0नं0–

Thumb impression
Signature Attested

K.C. BHATNAGAR
Advocate/Notary
Moradabad

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

20 JUN 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DK 055885

प्रथम पक्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य (सचिव) जिला स्वास्थ्य सोसायटी मुरादाबाद।

द्वितीय पक्ष मैसर्स ग्रामीण विकास सेवा समिति जटपुरा, मुरादाबाद सेवाप्रदाता।

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा "सर्पोटिंग सुपरवीजन' के संचालन के सम्बंध में आज दिनांक.......... को जनपद मुरादाबाद में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक 1-6-17 से 31.03.2018 तक होगी।

द्वितीय पक्षकार जिला मुरादाबाद के विकास खण्ड ठाकुरद्वारा, ताजपुर .... में प्रभावी "सपोर्टिंग सुपरवीजन" में वाहनों को संचालित करने के सम्बंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

1 सेवाप्रदाता (प्रथम पक्षकार) द्वारा अनुमोदित टैक्सी परमिट वाहन सं0– ठाकुरद्वारा, UP 21 AN-9634 ताजपुर, UP21 AN-8594 रू0 29990-00 किराया प्रतिमाह की दर पर उपलब्ध करायेगा।

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

..........2

सचिव
ग्रामीण विकास से
जटपुरा, मु०

2 वाहन में प्राथमिकता उपचार किट हो।

3 वाहन पर कार्यक्रम का नाम **सपोटिंग सुपरवीजन** अंकित कराना आवश्यक होगा। यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबंधित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बंधित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जायेगा।

4 वाहन में पैट्रोल/डीजल एवं वाहन चालक का वेतन द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

5 यह कि **सपोटिंग सुपरवीजन** के अन्तर्गत वाहन को अधिकतम **1000** किमी0 तक चलना होगा तथा संदर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन **1000 किमी0** से कम चलता है तो अनुपातक कटौती करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।

6 दुघर्टना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।

7 वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन पूर्व फिटनेस प्रमाण पत्र टैक्सी परमिट आदि होना अनिवार्य है तथा वाहन ऐसा होगा जिसमें चार सदस्यों के बैठने एवं सामान रखने की व्यवस्था होगी।

8 वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बंधी समस्त व्यय द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किये जायेंगे तथा वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नहीं जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में लिया जायेगा।

9 वाहन चालक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर व उसका कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति एवं उसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

10 द्वितीय पक्षकार द्वारा धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0 संख्या....161147....... दिनांक ..27-04-2017....जिला स्वास्थ्य सोसायटी के नाम रू0...1,50,000=00.. की धरोहर राशि जमा करा दी है तथा कुल बजट का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी का बैंक का ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 देने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष की होगी तथा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

11 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रभावी " **सपोटिंग सुपरवीजन** " हेतु वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि सम्बंधित स्वास्थ्य इकाई पर केवल " **सपोटिंग सुपरवीजन** " हेतु ही चलाया जायेगा।

12 वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य पब्लिक लाइसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालात में वाहन का संचालन न करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा

सचिव
ग्रामीण विकास से
जटपुरा, मुरा

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

13 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉग बुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

14 वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन अनुपस्थित होने पर अथवा वाहन चालक के अनुपस्थित होने पर रू0 500/– प्रतिदिन की दर से कटौती कर दी जायेगी।

15 द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी का होगा।

16 एजेन्सी को आवंटित इकाई पर वाहन के साथ 08 घण्टे मय वाहन चालक के कार्य करना अनिवार्य होगा।

17 अनुबंध के सम्बंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

18 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

19 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैं अथवा मेरा कोई रिश्तेदार भागीदार नहीं है।

सचिव
ह0 ग्रामीण विकास सेवा
जटपुरा, मुरा
द्वितीय पक्ष (अनुबंधित फर्म)
नाम– विजेन्द्र सिंह
पता– ग्राम- जटपुरा पो० रालपुर कोसरिया जिला मुरादाबाद
मो0नं0– 9456690463

ह0
प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्साधिकारी
सदस्य (सचिव), जिला स्वास्थ्य समिति,
जनपद–मुरादाबाद।
Nodel Officer (NHM) Moradabad

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता (द्वितीय पक्ष

1–
नाम– नरेश चन्द्र
पता ग्राम- जटपुरा पो० रालपुर कोसरिया जिला- मुरादाबाद
मो0नं0– 9411945129

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता प्रथम पक्ष

1–
नाम– रमेश
पता– मुरादाबाद
मो0नं0–

Thumb Impression Signature Attested
K C BHATNAGAR
Advocate/Notary
Moradabad

सचिव
ग्रामीण विकास सेवा
जटपुरा, मुरा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY PUBLIC K.C. Bhatnagar Advocate/Notary Distt. Moradabad Regd. No. 3718 GOVT. OF INDIA

कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद

20 JUN 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DK 055884

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य (सचिव) जिला स्वास्थ्य सोसायटी मुरादाबाद।

द्वितीय पक्ष मैसर्स माँ वैष्णो इन्टरप्राइजेज MMIG-145 (रामगंगा विहार मुरादाबाद) सेवाप्रदाता।

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा "सर्पोटिंग सुपरवीजन" के संचालन के सम्बंध में आज दिनांक 01/06/2017 को जनपद मुरादाबाद में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक 1/6/2017 से 31.03.2018 तक होगी।

द्वितीय पक्षकार जिला मुरादाबाद के विकास खण्ड (1) कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी (2) DPMU-यूनिट (3) का० सामु० स्वा० के० (4) कुन्दरकी प्रा० स्वा० के (5) अपर निदेशक में प्रभावी "सपोर्टिंग सुपरवीजन" में वाहनों को संचालित करने के सम्बंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

1. सेवाप्रदाता (प्रथम पक्षकार) द्वारा अनुमोदित टैक्सी परमिट वाहन सं0– (1) कार्या० मु० चि० अधि- UP.21.BN-2154, (2) DPMU-यूनि० - UP.21.AN.3066, (3) का० सामु० स्वा० के० - UP.21.BN.3258, (4) कुन्दरकी प्रा० स्वा० के० - HR.63.A.6677 (5) अपर निदेशक- UP.22.T.5 रू0 29990/- किराया प्रतिमाह की दर पर उपलब्ध करायेगा।

..........2

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

Maa Vaishno Enterprises
Prop.

2 वाहन में प्राथमिकता उपचार किट हो।

3 वाहन पर कार्यक्रम का नाम **सपोटिंग सुपरवीजन** अंकित कराना आवश्यक होगा। यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबंधित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बंधित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जायेगा।

4 वाहन में पैट्रोल/डीजल एवं वाहन चालक का वेतन द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

5 यह कि **सपोटिंग सुपरवीजन** के अन्तर्गत वाहन को अधिकतम **1000** किमी0 तक चलना होगा तथा संदर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन **1000 किमी0** से कम चलता है तो अनुपातक कटौती करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।

6 दुघर्टना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्स्योरेंस के तहत मिलेगी।

7 वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन पूर्व फिटनेस प्रमाण पत्र टैक्सी परमिट आदि होना अनिवार्य है तथा वाहन ऐसा होगा जिसमें चार सदस्यों के बैठने एवं सामान रखने की व्यवस्था होगी।

8 वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बंधी समस्त व्यय द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किये जायेंगे तथा वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नहीं जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में लिया जायेगा।

9 वाहन चालक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर व उसका कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति एवं उसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

10 द्वितीय पक्षकार द्वारा धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0 संख्या 389442 की दिनांक 01/05/2012 जिला स्वास्थ्य सोसायटी के नाम रू0 1,50,000.00 की धरोहर राशि जमा करा दी है तथा कुल बजट का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी का बैंक का ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 देने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष की होगी तथा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

11 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रभावी " **सपोटिंग सुपरवीजन** " हेतु वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि सम्बंधित स्वास्थ्य इकाई पर केवल " **सपोटिंग सुपरवीजन** " हेतु ही चलाया जायेगा।

12 वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य पब्लिक लाइसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालात में वाहन का संचालन न करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

Maa Vaishno Enterprises
Prop.

निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

13 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉग बुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

14 वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन अनुपस्थित होने पर अथवा वाहन चालक के अनुपस्थित होने पर रू0 500/– प्रतिदिन की दर से कटौती कर दी जायेगी।

15 द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी का होगा।

16 एजेन्सी को आवंटित इकाई पर वाहन के साथ 08 घण्टे मय वाहन चालक के कार्य करना अनिवार्य होगा।

17 अनुबंध के सम्बंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

18 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

19 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैं अथवा मेरा कोई रिश्तेदार भागीदार नहीं है।

Maa-Vaishno Enterprises
ह0 [signature]
M/S Maa Vaishno Enterprises.
Prop.

द्वितीय पक्ष (अनुबंधित फर्म)
नाम– माँ वैष्णों इन्टरप्राइजेज
पता– MMIG-145
रामगंगा विहार मुरादाबाद
मो0नं0– 9917391111

ह0 [signature]

प्रथम पक्ष
Nodel Officer
मुख्य चिकित्साधिकारी (NRHM) Moradabad
सदस्य (सचिव), जिला स्वास्थ्य समिति,
जनपद–मुरादाबाद।

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता (द्वितीय पक्ष

1– पवन सिंह
नाम– हिमगिरि कालोनी
पता– मुरादाबाद
मो0नं0– 9917900052

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता प्रथम पक्ष

1–
नाम–
पता–
मो0नं0–

Thumb Impression
Signature Attested
10/07/12
K.C. BHATNAGAR
Advocate/Notary
Moradabad

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA NON JUDICIAL

NOTARY PUBLIC
K.C. Bhatnagar
Advocate/Notary
Distt. Moradabad
Regd. No. 3718
GOVT. OF INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

20 JUN 2017

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DK 055892

प्रथम पक्ष, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य (सचिव) जिला स्वास्थ्य सोसायटी मुरादाबाद।

द्वितीय पक्ष इकरा कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स काशीराम नगर मुरादाबाद सेवाप्रदाता।

NOTARY PUBLIC
K.C. Bhatnagar
Advocate/Notary
Distt. Moradabad
Regd. No. 3718
GOVT. OF INDIA

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य, जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा "सर्पोटिंग सुपर वजीन" के संचालन के सम्बंध में आज दिनांक 1-6-2017 को जनपद मुरादाबाद में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक 1-6-2017 से 31.03.2018 तक होगी।

द्वितीय पक्षकार जिला मुरादाबाद के विकास खण्ड बिलारी बिलारी .... में प्रभावी " सर्पोटिंग सुपर वजीन " में वाहनों को संचालित करने के सम्बंध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

2 वाहन में प्राथमिकता उपचार किट हो।

3 वाहन पर कार्यक्रम का नाम सपोर्टिंग सुपर वीजन अंकित कराना आवश्यक होगा। यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबंधित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बंधित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जायेगा।

4 वाहन में पैट्रोल/डीजल एवं वाहन चालक का वेतन द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

5 यह कि सपोर्टिंग सुपर वीजन के अन्तर्गत वाहन को अधिकतम 1000 किमी0 तक चलना होगा तथा संदर्भित बच्चों को लेकर जिला चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज तक ले जाना होगा। यदि वाहन 1000 किमी0 से कम चलता है तो अनुपातक कटौती करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा।

6 दुघर्टना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेंस के तहत मिलेगी।

7 वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन पूर्व फिटनेस प्रमाण पत्र टैक्सी परमिट आदि होना अनिवार्य है तथा वाहन ऐसा होगा जिसमें चार सदस्यों के बैठने एवं सामान रखने की व्यवस्था होगी।

8 वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बंधी समस्त व्यय द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किये जायेंगे तथा वाहन से कम से कम 25 दिन का कार्य लिया जायेगा। यदि किसी कारण टीम भ्रमण पर नहीं जाती है तो वाहन का उपयोग अन्य निर्दिष्ट कार्यों में लिया जायेगा।

9 वाहन चालक का नाम, पता व मोबाइल नम्बर व उसका कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति एवं उसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

10 द्वितीय पक्षकार द्वारा धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0 संख्या 450516 दिनांक 4/5/2017 जिला स्वास्थ्य सोसायटी के नाम रू0 150000 की धरोहर राशि जमा करा दी है तथा कुल बजट का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी का बैंक का ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 देने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष की होगी तथा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस करनी होगी।

11 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रभावी " सपोर्टिंग सुपर वीजन " हेतु वाहन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि सम्बंधित स्वास्थ्य इकाई पर केवल " सपोर्टिंग सुपर वीजन " हेतु ही चलाया जायेगा।

12 वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य पब्लिक लाइसेंस होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालात में वाहन का संचालन न करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा

Nodel Officer
(NHM) Moradabad

निधि की राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

13 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉग बुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक सत्यापित बिल प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

14 वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। वाहन अनुपस्थित होने पर अथवा वाहन चालक के अनुपस्थित होने पर रू0 500/– प्रतिदिन की दर से कटौती कर दी जायेगी।

15 द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं क समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी का होगा।

16 एजेन्सी को आवंटित इकाई पर वाहन के साथ 08 घण्टे मय वाहन चालक के कार्य करना अनिवार्य होगा।

17 अनुबंध के सम्बंध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखनऊ न्यायालय में ही होगा तथा उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

18 द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

19 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मैं अथवा मेरा कोई रिश्तेदार भागीदार नहीं है।

NOTARY PUBLIC GOVT. OF INDIA

ह0 ह0

द्वितीय पक्ष (अनुबंधित फर्म)
नाम M/s Ubesh Construction & Suppliers
पता– ...... मुरादाबाद
Pro.
मो0नं0– 9837760233

प्रथम पक्ष
मुख्य चिकित्साधिकारी
सदस्य (सचिव), जिला स्वास्थ्य समिति,
जनपद–मुरादाबाद।

Nodel Officer
(NHM) Moradaba

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता (द्वितीय पक्ष
1–
नाम–
पता
मो0नं0–

गवाहों के नाम, ह0 एवं पता प्रथम पक्ष
1–
नाम–
पता– मुरादाबाद
मो0नं0–

Thumb Impression
Signature Attested
K C BHATNAGAR
Advocate/Notary
Moradabad
10/07/17